

प्राकृतिक आपदा के कारण घटित दुर्घटना जैसे- अतिवृष्टि/बाढ़/आगजनी/पानी के तेज बहाव/आंधी तूफान/आकाशीय बिजली इत्यादि में हुई क्षति के लिए एसडीआरएफ (SDRF) मद से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र/अग्रेषण पत्र

मे कालिमा गराफिया पुत्र/पत्नी/पति माना गराफिया जिला जालौर निवासी रामरी डूंगरी जालौर
ग्राम पंचायत गामडी नारायण पटवार मण्डल जालौर पंचायत समिति अरधुना तहसील अरधुना जिला
बांसवाड़ा का हूँ दिनांक 16-09-20 को घटित प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के लिये निम्नानुसार
आवेदन / निवेदन करता हूँ :-

" भाग -अ" परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित करें

क्र.स.	सदस्यों के नाम	आयु	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय
1	कालिमा	50-15	पुत्र	कृषि
2	रमेश	22-45	पुत्र	कृषि
3	बिप्रम	21-45	पुत्र वड्ड	शुध्प
4	पायल	4-20	पुत्री	
5	गेशनी	4-20	पुत्री	
6				

" भाग -ब" मृत्यु/घायल के मामलों में भरा जाना

क्र.स.	विवरण	अंकित किये जाने वाले विवरण
1	घटना की दिनांक	
2	घटना स्थल	
3	घटना की प्रकृति	
4	मृत/घायल व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता	
5	मृत/घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
6	दुर्घटना का परिणाम मृत/गंभीर/साधारण घायल	
7	घटना के कारण आंख, हाथ, पैर, आदि की स्थायी रूप से क्षति हुई है तो विवरण अंकित करें	
8	घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने का विवरण अंकित करें	
9	आवेदनकर्ता का नाम पूर्ण पता	
10	मृत्यु के मामलों में मृतक से आवेदक का संबंध में	
11	आवेदक का मोबाईल नंबर	

नोट:-

- प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय बाढ़/अतिवृष्टि के कारण मकान ढह जाने/आगजनी के कारण मृत्यु/घायल एवं पानी के तेज बहाव में बह जाना है। यह ज्ञान होते हुए भी कि नदी/नाला/पुल/रपट पर अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव है, पार करने पर घटित दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का लाभ देय नहीं है।
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/एफ.आई.आर. इत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. स्थायी/साधारण घायल के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें क्षति का प्रतिशत उल्लेखित हो एवं चोट प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. गंभीर होने के मामले में चिकित्सालय में भर्ती होने व छुट्टी होने की तिथि बाबत प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
5. प्रत्येक मामले में संबंधित पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

" भाग -स" क्षतिग्रस्त मकान के मामले में भरा जाना

क्र. स.	मकान (कच्चा/पक्का/झोपड़ी) अंकित करें	क्षति का विवरण (पूर्ण/गंभीर/आंशिक) अंकित करें	मकान क्षति की अनुमानित राशि	घटना की दिनांक	प्राकृतिक घटना का कारण
	कच्चा	गंभीर	50,000/-	16.09.22	अग्नि

नोट:-

1. आगजनी के मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के अभाव में तकनीकी सहायक द्वारा मकान का क्षति मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
3. मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र या मकान पट्टा एवं मकान पूर्ण क्षति होने पर एक मकान होने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी या ग्राम सचिव द्वारा जारी कर लगाया जाना आवश्यक है।

" भाग -द" पशु क्षति के मामले में भरा जाना

क्र. स.	पशुओं का प्रकार	कृषक/पशु पालक के पास उपलब्ध कुल पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत पशुओं का अनुमानित मूल्य	दुर्घटना की दिनांक	प्राकृतिक दुर्घटना का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	दुग्धक पशु					
1	मैस					
2	गाय					
3	ऊँटनी					
4	भैंस					
5	बकरी					
(ब)	अदुग्धक पशु					
1	ऊँट					
2	बैल/सांड					
3	घोड़ा					
4	बछड़ा					
5	गधा					

नोट :-

1. प्रत्येक मृत पशु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है।

“ भाग -य” फसल क्षति के मामले में भरा जाना

केवल खेत में खड़ी फसल पर सहायता देय है। (मकान, खलियान पर रखी फसल पर सहायता देय नहीं है।)
 आवेदनकर्ता खातेदार के पास उपलब्ध कृषि खाते की भूमि का विवरण
 कृषक की श्रेणी (लघु/सिमान्त) आदि

पटवार मण्डल	तहसील	खाता संख्या	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	
			सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5

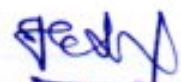
घोषणा

मैं राजेश कुमार पुत्र/पत्नी/पति माना निवासी समथी इलाहाबाद
 जाति.....का होकर यह घोषणा करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त सूचना सही एवं सत्य है।
 हस्ताक्षर/अंगुठा प्रार्थी राजेश कुमार

पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की पुष्टि की जाकर नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत लिये जाने की अनुशंसा की जाती है। पर्व मौरा एवं अपेक्षित अभिलेख/प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनुशंसा/अग्रेषण प्रपत्र


 हस्ताक्षर पटवारी हल्दी
 पटवार मण्डल अलाहाबाद
 तह. अरधूना जिला बॉसवाड़ा

क्रमांक:-

दिनांक :-

मूल प्रार्थना पत्र उपरोक्त दस्तावेज के साथ जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) बांसवाड़ा को अग्रेषित करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की भली भांति जांच पड़ताल करा ली गई है, तथा उक्त घटना प्राकृतिक आपदा की परिभाषा के अन्तर्गत है, तथा घटना की पुष्टि करते हुए नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा/सिफारिश की जाती है।


 हस्ताक्षर तहसीलदार
 तहसीलदार
 अरधूना जिला बॉसवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी

मकान क्षति का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

दिनांक 20-9-21 को मेरे द्वारा ग्राम मौलावा में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति होने से श्री कालिदास पिता माना जाति ब्राह्मण के मकान पर मौका जांच की गई। मौके पर मकान में कच्चा षोड़ा प्रकार की ढाँई दिवार गिर गई की क्षति पाई गई। कच्चा/पक्का मकान या झोपड़ी पूर्ण/गंभीर/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

→ प्रकार की ढाँई दिवार गिर गई व क्षति का भी नुकसान हुआ तथा क्षति व धूसर गिरने से नुकसान की अनुमानित राशि 45000/- रु

कनिष्ठ अभियन्ता,
पंचायत समिति.....

-::कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....:-
 गामडी नारायण अरधुना

क्रमांक:

दिनांक: 19/9/22

- :: मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र :: -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कालिका पिता मनरा निवासी नि. कोटेरा का मकान ग्राम पंचायत गामडी नारायण तहसील अरधुना में बना हुआ था। इनका मकान गांव विचल कोटेरा में बना हुआ था इसका "प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

सुमित्रा
सरपंच

ग्राम पंचायत गामडी नारायण
तहसील अरधुना जि. बांसवाड़ा (राज.)

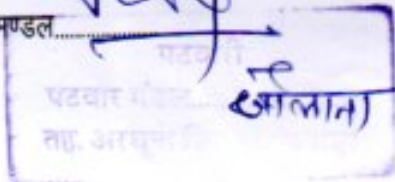
सचिव
ग्राम पंचायत गामडी नारायण

- :: एक मकान होने का प्रमाण पत्र :: -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कालिका पिता/पत्नी मनरा निवासी नि. कोटेरा ग्राम पंचायत गामडी नारायण तहसील अरधुना जिला बांसवाड़ा का यह एक मात्र मकान है। इसके अलावा इनका कोई अन्य मकान नहीं है। जो अतिवृष्टि/भारी वर्षा/आगजनी से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

पटवारी

पटवार मण्डल



सचिव

ग्राम पंचायत

गामडी नारायण

मौका पर्चा

आज दिनांक 17.09.22

.....को सूचना मिलने पर पटवार मंडल अर्काना
.....के ग्राम अर्काना में श्री फाकिय पिता
माना जाति श्रील के मकान पर पहुंचा। मौके पर
उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि दिनांक 16.09.22 को
भारी वर्षा (अतिवृष्टि) होने से श्री फाकिय पिता
माना जाति श्रील का कच्चा / पक्का
मकान आंशिक / पूर्ण रूप से गिर गया जिसका अनुमानित
नुकसान 50,000/- हुआ है। मौके पर उपस्थित
मौतबिरानो के रूबरू मौका पर्चा बनाया जाकर पढ़कर
सुनाया गया, बाद हस्ताक्षर / अंगूठा निशान लिए गए।

पटवार
पटवार मंडल अर्काना
तह. अरधूना जिला बांसवाड़ा